

राजस्थान –सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जे-486/ 18/  
दिनांक:-

आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार झारोटिया, नर्स-2, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर, जो निदेशालय में दिनांक 15.06.17 से 24.08.17 तक आदेशो की प्रतिकक्षा में उपस्थित रहे हैं, उक्त अवधि को राजस्थान सेवा नियम 7 (8) बी/ (III) के अधीन ड्यूटी पर माने जाने एवं नियम 25 ए के तहत उक्त अवधि के वेतन भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

—sd—

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जे-486/ 18/872

दिनांक:-13/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 511 दिनांक 21.03.18 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 1848 दिनांक 10.05.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 279 दिनांक 15.05.18 के क्रम में।
4. अधीक्षक, सरपदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।